

**राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक प0 12(03) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 23/8/24

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त निम्नांकित अधिवक्तागण को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-03 में वर्णित पद से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क.सं.	नाम अधिवक्ता (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम
1	2	3
1.	पद्मालक्ष्मी अयंगर	अतिरिक्त महाधिवक्ता
2.	अमिताम कुमार चौबे	अतिरिक्त महाधिवक्ता
3.	प्रतीक के. चड्ढा	अतिरिक्त महाधिवक्ता

आज्ञा से



(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. सेक्रेटरी जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
5. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंक।
9. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
13. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
15. सुश्री पद्मालक्ष्मी अयंगर, अधिवक्ता को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आपको आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां श्रीमती संस्कृति पाठक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली को संमलवाकर कार्यमुक्त होंगे।
16. श्री अमिताम कुमार चौबे, अधिवक्ता को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आपको आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां श्री पदमेश मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली को संमलवाकर कार्यमुक्त होंगे।
17. श्री प्रतीक के. चड्ढा, अधिवक्ता को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आपको आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां श्री शिव मंगल शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली को संमलवाकर कार्यमुक्त होंगे।
18. श्रीमती संस्कृति पाठक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि आप सुश्री पद्मालक्ष्मी अयंगर, अधिवक्ता से उन्हें राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां प्राप्त कर, इस विभाग को अवगत करावें।
19. श्री पदमेश मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि आप श्री अमिताम कुमार चौबे, अधिवक्ता से उन्हें राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां प्राप्त कर, इस विभाग को अवगत करावें।
20. श्री शिव मंगल शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि आप श्री प्रतीक के. चड्ढा, अधिवक्ता से उन्हें राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां प्राप्त कर, इस विभाग को अवगत करावें।
21. सम्बन्धित कोषाधिकारी।

22. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
23. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
24. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
25. रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेरा)

विशिष्ट शासन सचिव